

नगर निगम लखनऊ

102043



प्रपत्र-“क” (नियम 7 देखिये)

सम्पत्ति कर स्वः - निर्धारण प्रपत्र

क्रम संख्या

(अधिनियम की धारा 207-क)

- क. (एक) स्वामी/अध्यासी का नाम
 (दो) स्वामी/अध्यासी के पिता का नाम
 (तीन) भवन/मकान/भूखण्ड संख्या
 (चार) भवन/भूखण्ड की अवस्थिति का पता
 (पाँच) स्वामी/अध्यासी का अस्थायी पता
 (छ) स्वामी/अध्यासी का स्थायी पता

ख. निम्नलिखित का भवन सम्बन्धी व्यौरा

- (एक) समस्त कमरों और आच्छादित बरामदों
 का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में)
 (दो) समस्त बालकनी, कॉरिडोर, रसोई और
 भण्डार गृह का आन्तरिक आयाम
 (वर्ग फुट में)
 (तीन) समस्त गैराज का आन्तरिक आयाम
 (वर्ग फुट में)

टिप्पणी :- स्नानगृह, शौचालय, पोर्टिको और जीने द्वारा आच्छादित क्षेत्र कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा।

ग भवन का कारपेट एरिया :-

$$= \text{ख} \text{ (एक)} + 1/2 \text{ ख} \text{ (दो)} + 1/4 \text{ ख} \text{ (तीन)}$$

अथवा

1. भवन का आच्छादित क्षेत्रफल
 2. आच्छादित क्षेत्रफल का 80% =

टिप्पणी - आच्छादित क्षेत्रफल का 80%

कारपेट एरिया के समतुल्य माना गया है

- घ (एक) भूमि का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)
 (दो) भूमि का क्षेत्रफल, यदि उस पर कोई
 भवन निर्मित न हो (वर्ग फुट में)

ङ (क) भवन अवस्थित है।

- (i) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
 (ii) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
 (iii) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर

(ख) भवन के निर्माण की प्रकृति

- (i) पक्का भवन, आर.सी.सी. छत या आर.बी.छत सहित
 (ii) अन्य पक्का भवन
 (iii) कच्चा भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) में आच्छादित नहीं है।

(ग) भूमि (यदि भूमि पर कोई भवन निर्मित नहीं है) अवस्थित है

24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर

12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर

12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर

टिप्पणी :- कृपया उपर्युक्त (एक), (दो) या (तीन) के कालम में जो भी सही हो उसमें सही (✓) का निशान लगायें।

च भवन या भूमि स्वामी द्वारा अध्यासित है या किराये पर है

टिप्पणी :- यदि भवन एक वर्ष से कम की अवधि से रिक्त है तो उसे स्वामी द्वारा अध्यासित समझा जायेगा। यदि भवन एक वर्ष से अधिक की अवधि से रिक्त है तो उसे “रिक्त” उल्लिखित किया जायेगा।

छ भवन के निर्माण का वर्ष

ज (एक) नगर आयुक्त द्वारा भवन के लिये निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर रुपये प्रति वर्गफुट।

(दो) नगर आयुक्त द्वारा भूमि के लिये निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो तो रुपये प्रतिवर्ग फुट।

झ (एक) भवन का वार्षिक मूल्य = $12 \times$ नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर \times भवन का कारपेट एरिया $= 12 \times$ ज (एक) \times ग

(दो) भूमि का वार्षिक मूल्य, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो तो $= 12 \times$ नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर \times भूमि का क्षेत्रफल $= 12 \times$ ज (दो) \times घ (दो)

ज (एक) भवन स्वामी के स्वयं अध्यासित होने की दशा में भवन का मूल्य धारा 174 (2) (ख) में यथा उल्लिखित छूट देने के पश्चात्

(दो) भवन के किराये पर होने की दशा में भवन का वार्षिक मूल्य, धारा 174 (2)(ख) में यथा उल्लिखित वृद्धि करने के पश्चात्

द भवन का सामान्य कर = यथा अवधारित वार्षिक मूल्य \times सामान्य कर दर / 100

ठ भूमि पर सामान्य कर, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो = झ (दो) में यथा उल्लिखित वार्षिक मूल्य \times सामान्य कर दर / 100

ड नगर आयुक्त द्वारा कर जमा करने के लिये निर्धारित नियत दिनांक

ढ जमा किये गये कर का विवरण :-

क्रम सं.	कर	धनराशि	दिनांक	चालान/रसीद संख्या + (प्र)	बैंक/जोन का नाम
----------	----	--------	--------	---------------------------	-----------------

1. सामान्य कर

सत्यापन - मैं एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि स्वमूल्यांकन विवरण में प्रस्तुत किये गये व्यौरे मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और पूर्ण है।

दिनांक

हस्ताक्षर

अनुप्रमाणक (साक्षी)

पूरा नाम

हस्ताक्षर

स्थायी पता

नाम

पिता-माता का नाम

दूरभाष/मोबाइल नं.

पूरा पता